


102 (98)

शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का नक्सी तक विस्तार
(ल 5.00 किमी)


1:50,000



103 (32)

शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का नक्सी तक विस्तार
(ल 5.00 किमी)

1:50,000



बनाधिकारी, वन प्रभाग बलमोडा

बनाधिकारी, वन प्रभाग बलमोडा

NON.Z.A. रवतीनी उद्दरण - शाम-भनरगाँव
पटवारीखेत-पातलीबगड तह-सोभेखर जिला-अल्मोड़ा

पैगी ई (3)3.

क्र.सं.	खतिद्वार क्र.नाम	फसल क्र.	खेत क्र.	खेतफल	लागत	विवरण
29	ब.बा.0 आ.ख.		1	1.911		
			4	0.104		
			13	0.008		
			40	0.003		
			/			
			ग्रामशा.			
			1262	0.191		
			1264	0.020		
			1270	0.441		
			/			
			ग्रामशा.			
			1865	0.667		
			1868	0.178		
			1872	0.008		
			1873	0.025		
			/			
			ग्रामशा.			
			1857	0.908		
			2047	0.564		
			1857	0.655		
			1857	0.470		
			2050			
			/			
			ग्रामशा.			
			128	27.440		
			योग			

1392 लक्ष

महोदय
N.A.Z.A. रवतीनी उद्दरण
तैयार किया,
सजख अखिलेश्वर
क्षेत्र - पातलीबगड
सहस्रील - सोभेखर
जिला - अल्मोड़ा.

प्रस्ताव के बारे में विवरण एवं प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता

201

कार्य का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में विकासखण्ड ताकुला के अंतर्गत शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0) हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावना:- इस मोटर मार्ग निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शा0संख्या 3704/111 (2)/2008/49 एम0एल0ए0 /2008 दि. 19.11.2008 के द्वारा 175.00 लाख की प्राप्त है। उक्त मोटर मार्ग का निर्माण पूर्व निर्मित शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग के किमी02 से प्रारम्भ होता है। जिसकी पूर्व स्वीकृति शासनादेश संख्या 1005/7-1-2006-800 (1224)/2005 दि. 18.1.06 द्वारा स्वीकृति प्राप्त थी। जिसमें मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इस मोटर मार्ग के निर्माण का मुख्य लक्ष्य स्थानीय जनता को यातायात की सुविधा से जोड़ना /उनके द्वारा उत्पादित फल एवं सब्जी को बाजार तक पहचाना एवं क्षेत्र को विकास की ओर अग्रसर कराना है।

प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण होने से निम्नलिखित ग्रामों की जनसंख्या लाभान्वित होगी।

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	जनसंख्या
1-	खडाऊ	126
2-	गंगोलाकोटली	455
3-	चुराडी	112
4-	मकुना	1144
5-	बसोली	322
6-	भैसाडी	265
योग		2424

मार्ग निर्माण हेतु 2 समरेखनों पर विचार एवं सर्वेक्षण किया गया।

समरेखन नं0 1- यह समरेखन भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर लाल रंग से दर्शाया गया है। यह मार्ग पूर्व निर्मित शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग के किमी0 2 से प्रारम्भ होता है तथा उपर्युक्त गांवों को जोड़ता हुआ अल्मोड़ा-ताकुला-बागेश्वर मोटर मार्ग को बसोली के संगीप जोड़ता है। इसमें दो हेयर पिन बैंड आते हैं, तथा नाप /सिविल भूमि (राज्य भूमि) पड़ती है। इस समरेखन में लागत एवं मार्ग की लम्बाई कम होने से स्थानीय जनता को अधिक लाभ मिलेगा, तथा इस समरेखन में गांव वासियों की सहमति भी प्राप्त है। अतः इस समरेखन को स्वीकृत किया गया है।

समरेखन नं0 2- यह समरेखन भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर नीले रंग से दर्शाया गया है। यह मार्ग पूर्व निर्मित शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग के किमी0 2 से प्रारम्भ होता है तथा उपर्युक्त गांवों को जोड़ता हुआ अल्मोड़ा-ताकुला-बागेश्वर मोटर मार्ग को बसोली के संगीप जोड़ता है। इसमें चार हेयर पिन बैंड आते हैं, जिससे मार्ग की लम्बाई एवं लागत बढ़ती है। इस समरेखन में ग्रामवासियों द्वारा आपत्ति की गई है। इस समरेखन में नाप /सिविल भूमि (राज्य भूमि) / आरक्षित भूमि अधिक मात्रा में प्रभावित होने के कारण इस समरेखन को निरस्त किया गया।

उपर्युक्त दोनों समरेखन गुणावगुण पर विचार के उपरान्त समरेखन नं0 1 को मानचित्र पर लाल रंग से दर्शाया गया है, को अधीक्षण अभियन्ता प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा द्वारा अनुमोदित कर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उद्देश्य- इस मार्ग के बन जाने से प्रस्ताव में अंकित ग्राम लाभान्वित होंगे एवं उक्त मार्ग के बन जाने से इस क्षेत्र का समुचित विकास हो सकेगा, एवं ग्रामवासियों को यातायात, कारस्तकारों को दैनिक /सामाजिक जीवन का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

वस्तुति- इस प्रकार उक्त मोटर मार्ग का निर्माण ल0 5.00 किमी0 एवं चौड़ाई 9मी. में ली गयी है। प्रभावित वृक्षों की गणना मात्र 7मी0 चौड़ाई में की गयी है। जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है। जिनको कम किया जाना सम्भव नहीं है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में 2.3500 हे0 सिविल बेनाप राज्य भूमि प्रभावित होती है। उक्त प्रयोजनार्थ यह वन भूमि न्यूनतम है। जिसका वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गठित कर पूर्व स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0विभाग
अल्मोड़ा

अधिसारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0विभाग
अल्मोड़ा

	(b) Rainfall data average annual peak intensities monthly distribution(to the extent available) (c) Snowfall data average annual peak intensities monthly distribution(to the extent available) (d) Wind direction and velocities (e) Fog condition (f) Exposure to sun (g) Unusual weather conditions like cloud burst etc.	Moderate rainfall Negligible snow fall Record not available For remain during rains Nil	Moderate rainfall Negligible snow fall Record not available For remain during rains Nil
9	Facilities resources (a) Landing ground (b) Dropping Zone (c) Food stuffs (d) Labour local availability and need for import (e) Construction material (Timber, Bamboo, Sand, stone, shingle etc. extent of their availability and lead involved	Not available Not available Crops, vegetables, fruits, Milk production area Local & Nepali labour also available Locally available	Not available Not available Crops, vegetables, fruits, Milk production area Local & Nepali labour also available Same as alignment no.1
10	Value of land, agricultural land, Irrigated land, built up land, forest land etc.	Agricultural land-1.00 km. Irrigated land-2.00 Built up land-Nil F. land& F.P.R.F-3.90	Agricultural land-1.00 km. Irrigated land-1.00 Built up land- F. land& F.P.R.F-4.500
11	Approximate Constt.Cost	Total cost Rs.175.00 lacs	Total cost Rs.175.00 lacs
12	Access point indicating possibility of induction of equipment	Access is not available at present. However it can be made easily to induction of equipment like compressor during hill cutting operation upto Road head.	Same as alignment No.1
3	Period required for construction	After 2 years land made available	Same as alignment No.1
4	Strategic Consideration	To provide better communication	Same as alignment No.1
5	Important villages, towns and markets centres to be connected	Basoli, Takula	Same as alignment No.1
6	Recreational potential	Nothing at present	Same as alignment No.1
7	Economic Factors: (a) Population served by the	Appx.5000	Appx.5000

	alignment (b) Agricultures and economic potential of the area	Limited at present however it is expected to iccrease after constriction of road.	Same as alignment No.1
18	Other major development projects being taken up electric projects etc.	Nil	Nil
19	(i) Misc. such as camping sites (ii) Law and other problem (iii) Royalty (iv) Availability of contractors for collection and carriage of construction material (v) Working period available for construction of work	Nil Nil Nil Local contractor are available for the work. Almost whole the year except rainy season.	Nil Nil Nil Local contractor are available for the work. Almost whole the year except rainy season.
20	Merits	1- Hill side sope easy and no steep zone fall in this. 2-less cost involved tn this alignment	Nil
21	Demerits	Nil	1- More irrigated land involved. 2- More cost involved in this alignment. 3- Such portion steep gradient in involved .

RECOMMENDATIONS:
Alignment no.(1) shown with red ink is hereby recommended for approval being more economical, useful & technically feasible.

[Signature]
Junior Engineer
C.D., P.W.D.
Almora

[Signature]
Assistant Engineer
C.D., P.W.D.,
Almora

[Signature]
Executive Engineer
C.D., P.W.D.,
M. Almora

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित 2.35 हे0 वन भूमि की मांग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रयोक्ता, एजेन्सी,
अभिषेक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी

अतिरिक्त अधिकारी

जिलाधिकारी

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

अप जिलाधिकारी

अप जिलाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

परियोजना की लम्बाई-चौड़ाई का विवरण।

क्र०सं०	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	कुल क्षेत्रफल (हे० में)
1	आरक्षित वन भूमि	-	-	-
2	सिविल सोयम भूमि	2611.11	9	2.35
3	वन पंचायत भूमि	-	-	-
	अन्य श्रेणी की वन भूमि (यदि लागू हो) वन भूमि का योग			
4	नाप भूमि	2388.88	9	2.15
	कुल योग-	4999.00	9	4.50

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

अभिषेक अभियन्ता,
प्रयोक्ता, एजेन्सी,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

अप जिलाधिकारी

अप जिलाधिकारी


अप जिलाधिकारी

208

BAR-CHART

SCALE 1CM=100M

जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग काव सौजीतिक विस्तार (लंबाई 5.00 किमी) का निर्माण।



NAP LAND
BENEF LAND

JUNIOR ENGINEER
CONSTRUCTION

ASSISTANT ENGINEER
DIVISION

EXECUTIVE ENGINEER
P.W.D. ALMORA

डा. व. व. व. व.
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

डा. व. व. व. व.
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

प्रपत्र-43

2.10

86

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (लंबाई 5.00 किमी)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित स्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

डा. व. व. व. व.
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

प्रपत्र-46

2.12

84

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल० 5.00 किमी०)

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग द्वारा सड़क निर्माण के उपरान्त प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर उचित प्रजातियों का रोपण किया जायेगा।

मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

लम्बाई 5.00

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या (170 पौधे/किमी०)

850

क्र० सं०	कार्य का नाम	इकाई (है०/सं०)	इकाई दर (₹)	योग
1	2	3	4	5
1	सर्वे एवं सीमांकन	5.00	97.00	485.00
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि कार्य)	5.00	584.00	2920.00
3	फेन्सिंग/ट्री गार्ड	850	810.00	688500.00
4	गड़ड़ा खुदान (0.30X0.30X0.45)	850	7.33	6230.50
5	पौधों का मूल्य	850	5.89	5006.50
6	अन्य कार्य	5.00	1000.00	5000.00
योग :- (प्रथम चरण)				708142.00
द्वितीय चरण				
1	गड़ड़ा भरान (0.30X0.30X0.45)	5.00	1.15	5.75
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	5.00	1.15	5.75
3	पौधे ढुलान कार्य	5.00	6.39	31.95
4	पौधा रोपण व थावलाबन्दी	5.00	2.06	10.30
5	निराई, गुड़ाई व मल्लिंग (दो बार)	5.00	0.76	3.80
6	खाद व दवा पर व्यय	5.00	0.22	1.10
7	वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय	6 Month	5960.00	35760.00
8	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौधे ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा के बचने हेतु पॉलीथीन सीट क्रय करना	5.00	200.00	1000.00
9	अन्य कार्य	5.00	200.00	1000.00
योग :- (द्वितीय चरण)				37818.65
कुल योग प्रथम एवं द्वितीय चरण				745960.65
वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य	6 Month	5960.00	35760.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील प्रदार्थों को हटाना प्रति है०	4.70	350.00	1645.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4मी० पट्टी साफ करना	4.70	225.00	1057.50
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	4.70	310.00	1457.00
3	अन्य कार्य	5.00	200.00	1000.00
योग :- (प्रथम वर्ष रख-रखाव)				40919.50

वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	6 Month	5960.00	35760.00
2	अन्य कार्य	5.00	200.00	1000.00
योग :- (द्वितीय वर्ष रख-रखाव)				36760.00
वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	6 Month	5960.00	35760.00
2	अन्य कार्य	5.00	100.00	500.00
योग :- (तृतीय वर्ष रख-रखाव)				36260.00
वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण कार्य	6 Month	5960.00	35760.00
2	अन्य कार्य	5.00	200.00	1000.00
योग :- (चतुर्थ वर्ष रख-रखाव)				36760.00
वृक्षारोपण का पांचवें वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पांचवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य	6 Month	5960.00	35760.00
2	अन्य कार्य	5.00	200.00	1000.00
योग :- (पांचवें वर्ष रख-रखाव)				36760.00
वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	6 Month	5960.00	35760.00
2	अन्य कार्य	5.00	200.00	1000.00
योग :- (छठे वर्ष रख-रखाव)				36760.00
वृक्षारोपण का सातवां वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य	6 Month	5960.00	35760.00
2	अन्य कार्य	5.00	200.00	1000.00
योग :- (सातवें वर्ष रख-रखाव)				36760.00
कुल योग :-				1007425.15
या :-				1007400.00

नोट :- उक्त अंकित दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि स्तह ही मानी जायेगी

Dulwinder JB

अग्निशक्ती अभियंता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

एन एन सिंह
अल्मोड़ा वन डेप

प्रभागिक वन अधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

85

प्रपत्र

2.13

(111)

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वांछित धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करा दी जायेगी।

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा।

बधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
प्रयोक्ता एजेन्सी
अल्मोड़ा।

प्रपत्र-19

2.15

(43)

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 15.02.2011 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित सिविल बेनाप भूमि, वन भूमि, आरक्षित भूमि, वन पंचायत भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :-

प्रस्तावित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार/प्रजातिवार/व्यास वार विवरण।

क्र सं०	भूमि की श्रेणी	ला ब्लॉक/कम्पार्टमेंट/खसरा सं०	प्रजाति	व्यास वर्ग							योग
				10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	
1	सिविल सोयम	गंगोला कोटली	चीड़- Pinus roxburghii sarg	4	13	2	-	-	-	-	19
			बाज- Quercus leucotrichophora	9	1	-	-	-	-	-	10
		चुराड़ी	बाज- Quercus leucotrichophora	9	4	1	-	-	-	-	14
		चीड़- Pinus roxburghii sarg	23	15	11	3	1	1	-	54	
		भकुना	बाज- Quercus leucotrichophora	-	1	-	-	-	-	-	1
		चीड़- Pinus roxburghii sarg	75	55	25	17	6	2	-	180	
		योग	120	89	39	20	7	3	-	278	
2	नाप भूमि	गंगोला कोटली	बाज- Quercus leucotrichophora	4	-	-	1	-	-	-	5
			चीड़- Pinus roxburghii sarg	3	-	2	2	-	-	-	7
		भकुना	चीड़- Pinus roxburghii sarg	-	-	-	1	-	-	-	1
			बाज- Quercus leucotrichophora	-	4	-	-	-	-	-	4
		योग	7	4	2	4	-	-	-	17	
कुल योग	127	93	41	24	7	3	-	295			

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

राजि अधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा

राजस्व विभाग

जिलाधिकारी

वा.सि.स. चरकट
कडवा (लो० नि० वि०)

अल्मोड़ा

अल्मोड़ा

जिलाधिकारी

प्रारूप-20

144

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन।

आरक्षित वन भूमि / सिविल सोयम भूमि / वन पंचायत भूमि / संरक्षित वन भूमि / नाप भूमि

(सिविल सोयम भूमि)

क्र0सं0	वृक्ष प्रजाति का नाम	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	दर	कुल मूल्य
1	चीड़ - Pinus roxburghii sarg	10-20	102	120	12240
		20-30	83	240	19920
		30-40	38	900	34200
		40-50	20	1945	38900
		50-60	7	3445	24115
2	बंज - Quercus leucotrichophora	10-20	18	20	360
		20-30	6	70	420
		30-40	1	140	140
		कुल योग	278		146135.00

(नाप भूमि)

क्र0सं0	वृक्ष प्रजाति का नाम	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	दर	कुल मूल्य
1	बंज - Quercus leucotrichophora	10-20	4	20	80
		20-30	4	70	280
		40-50	1	250	250
2	चीड़ - Pinus roxburghii sarg	10-20	3	120	360
		20-30	-	-	-
		30-40	2	900	1800
		40-50	3	1945	5835
	कुल योग		17		8601
महा योग (सिविल सोयम+नाप भूमि)			295		154736.00
या					154740.00

राजि अधिकारी

राजि अधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

राजि अधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

प्रपत्र-20.1

145

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश।

क्रसं0	क्षेत्र का नाम	व्यास वर्ग							योग
		10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	
1	आरक्षित वन भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-
2	सिविल सोयम	120	89	39	20	7	3	-	278
3	वन पंचायत योग	-	-	-	-	-	-	-	-
4	नाप भूमि	7	4	2	4				17
	कुल योग	127	93	41	24	7	3		295

राजि अधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

राजि अधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

प्रारूप-21

(46)


परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण


क्र0सं0	भूमि की श्रेणी	विद्यमान वृक्षों की संख्या	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या	विवरण
	आरक्षित वन भूमि	-	-	-
	सिविल सोयम	278	278	-
	वन पचायत	-	-	-
	संरक्षित वन	-	-	-
	योग :- वन भूमि	278	278	-
	नाप भूमि	17	17	-
	कुल योग :-	295	295	-


प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल 295 वृक्षों में से वास्तविक रूप से केवल 295 वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।


प्रयोक्ता एजेन्सी
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा


प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा


वास्तविक रूप से
काटे जाने वाले वृक्षों


प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा

प्रारूप-23

2.17

(48)

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)


प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रयोक्ता एजेन्सी एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से आवेदित भूमि 295 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।


प्रयोक्ता एजेन्सी
अभियन्ता, निर्माण खण्ड,
लो० नि० वि० अल्मोड़ा


प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा


वास्तविक रूप से
काटे जाने वाले वृक्षों


प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा

प्रपत्र-24

2.18

(49)

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (लग 5.00 किमी०)

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

प्रयोक्ता एजेन्सी,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

सह प्रक. अ. भयल्ला,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी,
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वग प्रभाग अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वग प्रभाग अल्मोड़ा

2.19

(87)

MUCK DISPOSAL PLAN

MUCK DISPOSAL EXERCISE INDEX

1. Construction of **Shahid Mohan Singh Motor road to Basoli** muck disposal annexure I .
2. Details of muck disposal yards with lana owner annexure II

J.E.

C.D., P.W.D. Almora

A.E.

C.D., P.W.D. Almora

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

E.E.

C.D., P.W.D. Almora

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (लम्बाई 5.00 किमी0)

मक डिस्पोजल हेतु वनीकरण एवं अभियांत्रिकी कार्यों में जो भी व्यय होगा उसे लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग की मांग के अनुसार उपलब्ध करा दिया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

ANNEXURE-I

कार्य का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार
(लम्बाई 5.00 किमी०)

S.No.	Material receiving from hill cutting 1/2(5000x3x3)	22500	cum
	40% for swell factor	9000	cum
	Total	31500	cum
Disposal and Use of Material			
1	R.R. Stone Masonary laid in 1.5- 1x5x350(1.93+0.60)/2x4	8855.00	cum
2	R.R. Stone Masonary laid in dry- 1x5x250(0.90+0.60)/2x1.80	1687.50	cum
3	Hand packed stone filling- 1x5x1/2x350x1x4	3500.00	cum
4	Construction of Scupper- 1x5x8x37.09	1483.60	cum
5	Soling work- 1x5x1000x4.05x0.12	2430.00	cum
6	Construction of pucca drain- 1x5x450x0.60x0.60	810.00	cum
7	Construction of wire creat- 1x5x10x8.75	337.50	cum
	Total used	19103.60	cum
	Material disposal by cartage in dumping yard	12396.40	cum

Location and Quantity of Dabries Disposal

Location of dumping yard	Size of Dumping yard	Type of Land	Capacity of dumping yard (Cum)
km. 1 hec. 2-4	50x7x5	Private Land	1750.00
km. 1 hec. 8-10	45x6x4	Private Land	1080.00
km. 2 hec. 0-2	40x8.5x5	Private Land	1700.00
km. 2 hec. 4-6	50x6x4	Private Land	1200.00
km. 3 hec. 0-2	56x5x5	Private Land	1400.00
km. 4 hec. 4-6	56x5x5	Private Land	1400.00
km. 5 hec. 0-2	56x9x5	Private Land	2520.00
km. 5 hec. 8-10	50x6x5	Private Land	1500.00
	Total		12550.00

Summary of Dabries Disposal

S.No.	Total Dabries	Material disposal by Cartage	Reused material for road construction	Total disposal in dumping Zone	Balance Dabries
	31500.00	12396.40	19103.60	12396.40	-

Sanjiv

Adar
बहुमक बाणयन्ता,
निर्माण खण्ड, पी० नि० वि०
अल्मोड़ा

Sanjiv
उप प्रभागीय समाधिकारी
निर्माण खण्ड, पी० नि० वि०
अल्मोड़ा

ANNEXURE-II

Details of Muck Diposal Yards with Land Owner Detail

S. No.	Chainage	Name of Land Owner & Village	Land in Hec.	Land in sqm	Land area being used for dumping yard (sqm.)	Longitude	Latitude
1	km. 1 hec. 2-4	Shri Bhagwat /Singh S/O Sri Bahadur Singh Vill-Gangola Kotuli,	0.033	330.00	330.00	29°41'45.21" N	79°40'41.51"E
2	km. 1 hec. 8-10	Shri Jewan singh S/O Sri Shiv Singh Vill-Gangola Kotuli,	0.016	160.00	160.00	29°41'42.06" N	79°40'50.03"E
3	km. 2 hec. 0-2	Shri Govind Singh S/O Sri Shiv Singh Vill-Gangola Kotuli,	0.010	100.00	100.00	29°41'40.77" N	79°40'53.65"E
4	km. 2 hec. 4-6	Shri Virendra Singh S/O Sri Bishan Singh Vill-Gangola Kotuli,	0.005	50.00	50.00	29°41'40.74" N	79°40'59.53"E
5	km.3 hec. 0-2	Shri Nandan Singh S/O Sri Keshar Singh Vill-Gangola Kotuli,	0.009	90.00	90.00	29°41'39.97" N	79°41'13.68"E
6	km. 4 hec. 4-6	Shri Shiv Singh S/O Sri Keshar Singh Vill-Gangola Kotuli,	0.009	90.00	90.00	29°41'41.69" N	79°41'27.65"E
7	km. 5 hec. 0-2	Shri Sher Singh S/O Sri Bahadur Singh Vill-Gangola Kotuli,	0.045	450.00	450.00	29°41'49.10" N	79°41'37.42"E
8	km. 5 hec. 8-10	Shri Bishan Singh S/O Sri Mote Singh Vill-Gangola Kotuli,	0.071	710.00	710.00	29°41'48.13" N	79°41'47.06"E
		Total	0.198	1980.00	1980.00		
					0.198hec.		

Sanjiv

Adar
बहुमक बाणयन्ता,
निर्माण खण्ड, पी० नि० वि०
अल्मोड़ा

Sanjiv
उप प्रभागीय समाधिकारी
निर्माण खण्ड, पी० नि० वि०
अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

95

राज्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (लम्बाई 5.00 किमी०) हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

नाम- भगवत सिंह

ग्राम- गंगोलाकोटली

कास सेक्शन Km. 1. has. 2-4 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकार श्री भगवत सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह ग्राम गंगोलाकोटली पटद्वारी वृत्त डिजाड जिला अल्मोड़ा के नाम भूमि विवरण निम्नप्रकार है:-

क्र०सं०	खाता/ खसरा नम्बर	भूमि (हे०)
1	137/2860	0.0330
2		
3		
4		
5		
6		
7		

बहादुर सिंह
(सहमी हस्ताक्षर)
प्रधान

ग्राम पंचायत गंगोलाकोटली
दि. ०५/०६/२०१५

राजस्व उपनिरीक्षण
De. 13/05/15
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र-.....
तहसील/जिला-अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

96

राज्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (लम्बाई 5.00 किमी०) हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

नाम- जीवन सिंह

ग्राम- गंगोलाकोटली

कास सेक्शन Km. 1. has. 8-10 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकार श्री जीवन सिंह पुत्र श्री शिव सिंह ग्राम गंगोलाकोटली पटद्वारी वृत्त डिजाड जिला अल्मोड़ा के नाम भूमि विवरण निम्नप्रकार है:-

क्र०सं०	खाता/ खसरा नम्बर	भूमि (हे०)
1	137/2860	0.0168
2		
3		
4		
5		
6		
7		

जीवन सिंह
(सहमी हस्ताक्षर)
प्रधान

ग्राम पंचायत गंगोलाकोटली
दि. ०५/०६/२०१५

राजस्व उपनिरीक्षण
De. 13/05/15
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र-.....
तहसील/जिला-अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

(96)

राज्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (लम्बाई 5.00 किमी0) हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

नाम- जीवन सिंह

ग्राम- गंगोलाकोटुली

कास सेक्शन Km. 1. has. 8-10 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकार श्री जीवन सिंह पुत्र श्री शिव सिंह ग्राम गंगोलाकोटुली पट्टवारी वृत्त झिआड़ जिला अल्मोड़ा के नाम भूमि विवरण निम्नप्रकार है:-

क्र0सं0	खाता/ खसरा नम्बर	भूमि (हे0)
1	137/2860	0.0168
2		
3		
4		
5		
6		
7		

जय राम देव
(बसौली देव)
प्रधान
ग्राम पंचायत गंगोला कोटुली
दि. 03-08-2015 ता. कुला (अल्मोड़ा)

6020
राजस्व उपनिरीक्षण
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र-.....
तहसील/जिला-अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

(97)

राज्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (लम्बाई 5.00 किमी0) हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

नाम- गोविन्द सिंह

ग्राम- गंगोलाकोटुली

कास सेक्शन Km. 2. has. 0-2 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकार श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री शिव सिंह ग्राम गंगोलाकोटुली पट्टवारी वृत्त झिआड़ जिला अल्मोड़ा के नाम भूमि विवरण निम्नप्रकार है:-

क्र0सं0	खाता/ खसरा नम्बर	भूमि (हे0)
1	137/2860	0.0100
2		
3		
4		
5		
6		
7		

जय राम देव
(बसौली देव)
प्रधान
ग्राम पंचायत गंगोला कोटुली
दि. 03-08-2015 ता. कुला (अल्मोड़ा)

6020
राजस्व उपनिरीक्षण
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र-.....
तहसील/जिला-अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

(98)

राज्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (लम्बाई 5.00 किमी0) हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

नाम- विरेन्द्र सिंह

ग्राम- गंगोलाकोटली

कास सेक्शन Km-2, Km-4-6 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकार श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री विश्वान सिंह ग्राम गंगोलाकोटली पटद्वारी वृत्त डिहाड जिला अल्मोड़ा के नाम भूमि विवरण निम्नप्रकार है:-

क्र0सं0	खाता/ खसरा नम्बर	भूमि (हे0)
1	137/2860	0.0050
2		
3		
4		
5		
6		
7		

नन्दन देवा
(सहस्री देवा)
प्रधान
ग्राम पंचायत गंगोला कोटली
डिहाड-ताड़ुवा (अल्मोड़ा)

राजस्व उपनिरीक्षण
राजस्व उपनिरीक्षक
शेखर/21-11-1985
तहसील/जिला-अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

(99)

राज्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (लम्बाई 5.00 किमी0) हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

नाम- नन्दन सिंह

ग्राम- गंगोलाकोटली

कास सेक्शन Km-2, Km-4-6 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकार श्री नन्दन सिंह पुत्र श्री केदार सिंह ग्राम गंगोलाकोटली पटद्वारी वृत्त डिहाड जिला अल्मोड़ा के नाम भूमि विवरण निम्नप्रकार है:-

क्र0सं0	खाता/ खसरा नम्बर	भूमि (हे0)
1	137/2860	0.0090
2		
3		
4		
5		
6		
7		

नन्दन देवा
(सहस्री देवा)
प्रधान
ग्राम पंचायत गंगोला कोटली
डिहाड-ताड़ुवा (अल्मोड़ा)

राजस्व उपनिरीक्षण
राजस्व उपनिरीक्षक
शेखर/21-11-1985
तहसील/जिला-अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

(100)

राज्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (लम्बाई 5.00 किमी0) हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

नाम- शिव सिंह

ग्राम-गंगोलाकोटली

कास सेक्शन No. 4, H.No. 4-6 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकार श्री शिव सिंह पुत्र श्री केशर सिंह ग्राम गंगोलाकोटली पटवारी वृत्त सिझाड़ जिला अल्मोड़ा के नाम भूमि विवरण निम्नप्रकार है:-

क्र0सं0	खाता/ खसरा नम्बर	भूमि (हे0)
1	137/2860	0.0090
2		
3		
4		
5		
6		
7		

ग्राम पंचायत में
नि०ख०-ताकु

राजस्व उपनिरीक्षण
प्रधान
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र-
सहस्रीक्ष/जिला-अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

(101)

राज्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (लम्बाई 5.00 किमी0) हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

नाम- शेर सिंह

ग्राम-गंगोलाकोटली

कास सेक्शन No. 5, H.No. 0-2 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकार श्री शेर सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह ग्राम गंगोलाकोटली पटवारी वृत्त सिझाड़ जिला अल्मोड़ा के नाम भूमि विवरण निम्नप्रकार है:-

क्र0सं0	खाता/ खसरा नम्बर	भूमि (हे0)
1	137/2860	0.0450
2		
3		
4		
5		
6		
7		

ग्राम पंचायत में
नि०ख०-ताकु

राजस्व उपनिरीक्षण
प्रधान
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र-
सहस्रीक्ष/जिला-अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

(102)

राज्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (लम्बाई 5.00 किमी०) हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय
नाम- विश्वनाथ सिंह
ग्राम- गंगोलाकोटली

कास सेक्शन Ka. 5 huc 8-10 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु
काश्तकार श्री विश्वनाथ सिंह पुत्र श्री मोती सिंह
ग्राम गंगोलाकोटली पट्टवारी वृत्त गंगोला जिला अल्मोड़ा
के नाम भूमि विवरण
निम्नप्रकार है:-

क्र०सं०	खाता/ खसरा नम्बर	भूमि (हे०)
1	137/2860	0.0710
2		
3		
4		
5		
6		
7		

विश्वनाथ सिंह
प्रधान
ग्राम पंचायत गंगोला कोटली
दि. 28-08-2020

राजस्व उपनिरीक्षण
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र- गंगोला
बसौली/जिला- अल्मोड़ा

प्रपत्र-25

2.20 (50)

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (ल० 5.00 किमी०)

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित स्थल की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से हवाई दूरी 11 किमी० है।

विश्वनाथ सिंह
प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
प्रभागीय वनाधिकारी

विश्वनाथ सिंह
जनपद अल्मोड़ा

विश्वनाथ सिंह
प्रधान

विश्वनाथ सिंह
प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

प्रपत्र-54

2.23

108

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोगेश्वर में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का निर्माण (ल0 5.00 किमी0) (प्रथम चरण)

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

प्रभागीय वनाधिकारी

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

प्रयोक्ता, एन० सी
अधिसूचना अधिनियम
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

प्रपत्र-28

2.24

109

सेवा में ग्राम सभा का उत्तपत्ति प्रमाण पत्र
अधिसूचना अधिनियम
लोक निर्माण विभाग
अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

Recd. no. 13-7-2009
ME/16

प्रेषक:- समस्त ग्रामवासी गंगोलाकोटली
विषय:- शहीद मोहन सिंह सड़क के विस्तारीकरण के सम्बन्ध में

श्रीहोदय,
आज दिनांक 23-05-2009 को ग्राम सभा की आम सभा में इस सड़क की सर्वे के सम्बन्ध में विचार विमर्श हुआ, तथा सर्वसमति से सभी ग्रामवासी इस बात से सहमत हुए कि ऊक्त सड़क हमारी सड़क में नष्ट के सम्बन्ध जाने में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए पुरानी आपत्ति को निरस्त समझा जाय। और अग्रिम कार्यवाही सुचारु की जाय।

फोटो प्रति संलग्नित

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

ग्राम-सोरावत गंगोला कोटली
शह-संरक्षित-वसोली (अल्मोड़ा)
फोन नं- 9411119957

- 1) [Signature]
- 2) [Signature]
- 3) [Signature]
- 4) [Signature]
- 5) श्रीवरीहंकार
- 6) [Signature]
- 7) [Signature]
- 8) [Signature]
- 9) [Signature]
- 10) [Signature]
- 11) [Signature]
- 12) [Signature]
- 13) [Signature]
- 14) [Signature]

- 17) [Signature]
- 18) [Signature]
- 19) [Signature]
- 20) [Signature]
- 21) [Signature]
- 22) Balwant Singh Karki
- 23) [Signature]
- 24) [Signature]
- 25) [Signature]
- 26) [Signature]

फोटो प्रति संलग्नित
सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०

28 धरन राम

29 गोपाल राम

30 ~~शिव~~

जोगा राम
नागेश्वर राम

दीवान राम
अमरीश राम
गणेश राम

गोपाल राम
दीवान सिंह

दीवान सिंह

दीवान सिंह

राधिका देवी

मोहनदास सिंह

दीवान

दीवान

शरन राम

दीवान

दीवान

दीवान

दीवान

दीवान

दीवान

दीवान

दीवान

दीवान

दीवान

दीवान

दीवान

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक आयुक्त,
विभाग-६, लो.नि.वि.
बन्दाहा

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक आयुक्त,
विभाग-६, लो.नि.वि.
बन्दाहा

52

FIRST

No. 53

क्र. 94/11/1957

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शरीर मोहन सिंह मोटर मार्ग के विस्तार रीकरण से ग्राम वारी प्रैण रूप से सहमत हैं। मोटर मार्ग धरन राम (अराखान) गैरपुत्र सिंह, शोक सिंह, रमजीत सिंह एवं ना रायण सिंह काकी (पुखोला) मल्लो गैरपुत्र काहों के घरों के अगले अटगॉल नहर के **फोटो प्रति सत्यापित** हमें कोई आपत्ति नहीं है।

सहायक आयुक्त,
विभाग-६, लो.नि.वि.
बन्दाहा

भगावती
प्रधान
धाम बंधायत नंगोला कोटुली
धाम बंधायत-बसीमी (बन्दाहा)

- | | | | | | |
|----|-----------------------|--------------|----|--------------------|--------------------|
| 1 | देवेन्द्र सिंह बिबर | शिव | 23 | भूपाल सिंह भोज | शिव |
| 2 | हन्सा बिबर | हन्सा बिबर | 24 | पाना सिंह भोज | शिव |
| 3 | हिमत सिंह बिबर | शिव | 25 | रबी-डी सिंह भोज | शिव |
| 4 | गोन्द्र राम नागाइ राम | शिव | 26 | दवान राम | दवान राम |
| 5 | दीवान बिबर | दीवान बिबर | 27 | लीला देवी | लीला देवी |
| 6 | शिव-दीवान बिबर | शिव | 28 | श्याम-दीवान | श्याम-दीवान |
| 7 | लक्ष्मी देवी | लक्ष्मी देवी | 29 | श्रीमती राधा बिबर | श्रीमती राधा बिबर |
| 8 | दीवान प्रह्लाद सिंह | दीवान | 30 | गोपाल राम | गोपाल राम |
| 9 | दीवान राम शरन राम | दीवान | 31 | सुरेश्वरी देवी | सुरेश्वरी देवी |
| 10 | दीवान प्रह्लाद सिंह | दीवान | 32 | दीपा काकी देवी | दीपा काकी देवी |
| 11 | दीवान प्रह्लाद सिंह | दीवान | 33 | शरन सिंह काकी देवी | शरन सिंह काकी देवी |
| 12 | दीवान प्रह्लाद सिंह | दीवान | 34 | राधा देवी | राधा देवी |
| 13 | कुन्दन सिंह बिबर | K. S. Singh | 35 | हिमत सिंह बिबर | हिमत सिंह बिबर |
| 14 | दीवान देवी | दीवान देवी | 36 | दीवान देवी | दीवान देवी |
| 15 | दीवान देवी | दीवान देवी | 37 | दीवान देवी | दीवान देवी |
| 16 | | | 38 | दीवान देवी | दीवान देवी |
| 17 | | | 39 | दीवान देवी | दीवान देवी |
| 18 | | | 40 | दीवान देवी | दीवान देवी |
| 19 | ममता देवी | ममता देवी | 41 | दीवान देवी | दीवान देवी |
| 20 | बिमला देवी | बिमला देवी | 42 | दीवान देवी | दीवान देवी |
| 21 | दीवान देवी | दीवान देवी | 43 | दीवान देवी | दीवान देवी |
| 22 | दीवान देवी | दीवान देवी | 44 | दीवान देवी | दीवान देवी |
| 23 | तिल राम | तिल राम | 45 | दीवान देवी | दीवान देवी |

फोटो प्रति सत्यापित
सहायक आयुक्त,
विभाग-६, लो.नि.वि.
बन्दाहा

शुभाकी इन्द्राकी
बलम सिंह - बरम सिंह

- परिवर सिंह काकी - ~~...~~
- पारवती देवी
- प्रेमा काकी प्रमा काकी
- मैत्री देवी
- बन्धी देवी
- धरमा देवी
- प्रेमा देवी - प्रेम देवी
- चम्पा देवी
- चम्पा देवी

- शार देवी काकी मिरा देवी काकी
- रत्नी देवी - रमा देवी
- जतीया देवी
- इन्द्रा देवी
- हेमा देवी

- प्रेमवा देवी
- अजय सिंह
- प्रेमा काकी
- प्रेम सिंह
- डव्या सिंह
- जयवी देवी
- बन्धी देवी

- शुभाकी काकी - ~~...~~
- लीपल सिंह - ~~...~~
- हल्ली देवी - हरली देवी
- देवी देवी - देवी देवी
- हमेम सिंह - ~~...~~
- अशोक सिंह - ~~...~~
- शिव सिंह शिव देवी
- जोषी देवी
- दीपा देवी

बोधे प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता,
निर्माण बण्ड, सो.नि.वि.
बन्धी

- राधिका देवी
- ममता देवी
- काली देवी
- कैलाश देवी
- लक्ष्मी देवी
- बन्धी देवी
- गोपाल सिंह काकी
- सरस्वती देवी
- मित्रा देवी
- कुली देवी
- बन्धी देवी

सहायक अभियन्ता,
निर्माण बण्ड, सो.नि.वि.
बन्धी

- कमला देवी - कमला देवी
- लीला देवी - लीला देवी
- विजय देवी - विजय देवी
- प्रेमा देवी - प्रेमा काकी
- शेरा देवी - शेरा काकी
- शेरा देवी काकी
- राज देवी
- अश देवी - अश देवी

- गोविन्द सिंह गोविन्द सिंह भोज
- अपरा देवी
- आहुली देवी
- रत्न सिंह भोज
- जानकी देवी - जानकी देवी
- पार्वती देवी - पार्वती देवी
- पार्वती देवी
- पार्वती देवी

- देवली देवी
- जोषी देवी
- जगतकी भोज
- जोषी देवी
- राधिका देवी - राधिका देवी
- बन्धी देवी

- कुशी देवी
- चम्पा देवी - चम्पा देवी
- पन्ना देवी - पन्ना देवी
- अन्जु भोज - अन्जु भोज
- प्रेमा भोज - प्रेमा भोज
- वलती देवी
- कोपला देवी - कोपला देवी
- आशा देवी - आशा देवी
- शेरा देवी - शेरा देवी
- प्रेमा देवी
- विश्वराम काकी
- शेर शम
- हीमती भोतिमोदी
- लीला देवी
- जीवन्ती देवी
- सुरेश शम
- श्रीमती नीमा देवी
- भोहन शम
- श्रीमती भावती देवी
- अचरम
- बहादुर सिंह

बोधे प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता,
निर्माण बण्ड, सो.नि.वि.
बन्धी

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग के विस्तारण को भरगौंव नहर के समीप से जाने पर ग्राम-मिजांड, किरडा के ग्रामीण भी लाभान्वित होंगे।
अतः इस मोटर मार्ग का विस्तार भरगौंव नहर के समीप हे किया जाय।

हैमा देवी
ग्राम पंचायत
वि० ख० - ताकुवा (बल्मोडा)

फोटो प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
बल्मोडा

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग जो कि खड़ाई से बसौली तक का विस्तारीकरण प्रस्तावित है, इसे भरगौंव नहर के समानान्तर हो कर ही बसौली सिंचाया जाय। इस सम्बन्ध ग्राम पंचायतवासी इस मह से सहमत है।

फोटो प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
बल्मोडा
ग्राम पंचायत
वि० ख० - ताकुवा (बल्मोडा)

भारतीय जनता पार्टी, अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

भारता देवी
रायत सदस्य
कोटली
निवास: ग्राम - गंगोला कोटली
पो. खड़ाऊ, ब्लॉक - ताकुवा
जिला - अल्मोड़ा
9412927974

दिनांक: 29/12/08

पेता में,
जीमान अर्घि अशियन्ता महोदय
निर्माण खण्ड - लो० नि० वि० - अल्मोड़ा

विषय: शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग निर्माण बन्वत्।

महोदय,
शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का विस्तारीकरण गंगोला कोटली से ऊपरे 5 किमी. किया जाना है, इस मोटर मार्ग का निर्माण गंगोला कोटली क्षेत्र के अनन्त प्रान राय (अरायान) प्रान सिंह, शंकर सिंह, रणजीत सिंह एवं नारायण सिंह (के घर के आगे नहर) के साथ नदीधारा में भरगौंव नहर के समीप से किया जाय।
महोदय, ग्राम - उराड़ी एवं लेक बरोली (भकुना) में जनप्रतिनिधियों के ध्यान में रखकर शीघ्र कार्य प्रारम्भ करवाने की कृपा करने जिये। सदर के अंगन में ही रही घोषानिधियों से भारतीय जनता को भूमि मिले।

फोटो प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
बल्मोडा

भारता देवी
(पंचायत क्षेत्र)
सदस्य
ग्राम पंचायत - गंगोला कोटली
वि० ख० - ताकुवा (बल्मोडा)

फोटो प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
बल्मोडा

चन्दन सिंह बिष्ट

॥ जय गता री ॥

ग्राम प्रधान चुराड़ी
पो 0 औ - भौसोड़ी, वि 0 ख 0 ताकुला,
तहसील जिला अल्मोड़ा
सम्पर्क : 253147, मो 9411516110

पत्रांक सेवा में श्रीमान कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
लो. नि. वि. खण्ड अल्मोड़ा दिनांक 24-5-09

विषय: बरेली नगरपालिका से गौरी रोड रिमोड के निष्पत्ति से दलाही-चुराड़ी-मल्ला गौव-खंडाऊ शहीद मोड रोड से स्व. मोहन सिंह मोटर मार्ग जोड़ने का कार्य

महोदय निवेदन इस प्रकार है कि संदर्भ शासन का पत्रांक 528 (पोत कु.) 08 दिनांक 21-5-08 यह मार्ग शहीद खण्ड मोहन सिंह से बरेली से विस्तार के अन्तर्गत आता है जिसका आगमन कु. शा. लो. नि. वि. अल्मोड़ा के पत्रांक 109571505 (पोत) 107 दिनांक 6-11-07 द्वारा उत्तरांचल शासन को प्रेषित है जिस मार्ग की लंबाई 5 कि. मी. की है जिसकी लागत 1.75 लाख स्वी. प्रती है चुकी है जिसकी सर्वे 28-3-09 से 31-3-09 इन तीन दिनों में स्व. मोहन गौव-चुराड़ी-दलाही से मोहन रिमोड मोड तक हुआ है चुकी है 11-5-09 द्वारा सर्वे भी हो चुकी है इस सर्वे के लिये इस इलाके क्षेत्र वासी आपका स्वागत करते हैं इस रोड से सुगमता जन्तु खुस है क्योंकि गौरी रोड बरेली से सीदा-दलाही-चुराड़ी-मल्ला गौव-खंडाऊ तल्ला सूनरा-कौरी-दलाही का सुगम रास्ता रानी खेत-शितलारखेत सीदा का कड़ी घाट तक का है रोड का सिद्धा सम्पर्क का रहा है मल्ला सूनरा

योगे प्रति सदपित

महोदय से निवेदन है कि इस क्षेत्र की जनता को बरेली अभियन्ता, निमाण खण्ड, लो. नि. वि. अल्मोड़ा, बरेली से जोड़ आपस में जोड़ना ही सही सहायक है इस क्षेत्र की जनता उद्योग व कारागार मंत्री अजाय हर/जी का आभार स्वागत करते इस रोड का कार्य शीघ्र चलाया जाए चाहे तो है।

अभिमान उराड़ी
ग्राम प्रधान चुराड़ी
दिनांक 24-5-09
बिना

योगे प्रति सदपित

सहायक अभियन्ता,
निमाण खण्ड, लो. नि. वि. अल्मोड़ा

58

- 23) नारायण
- 24) कु-वर्मा सिंह
- 25) वीरान सिंह
- 26) राम सिंह
- 27) विरेन्द्र सिंह
- 28) देवी सिंह
- 29) सज्जन सिंह
- 30) भूमंत सिंह
- 31) सुरेश सिंह
- 32) नरुली देवी
- 33) पुनू देवी
- 34) गुलाब सिंह
- 35) रजना देवी
- 36) जय की देवी
- 37) गोपाल सिंह दलाही
- 38) नारायण राव
- 39) प्रताप सिंह
- 40) हर सिंह
- 41) शक्ति सिंह

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत चुराड़ी लोक नरौली को नंबर 24-5-09 को उपरोक्त पत्रांक में देखें सभी जिलामें मुख्य न्याय शहीद मोहन सिंह रोड की ही जाहद करी सभी सिद्धा है पर दो तीन लोगों को खेत तीन जगहों पर सिद्धा है 39/10/08 का पत्र पर उपरोक्त चुराड़ी पत्रांक का सिद्धा है जो पत्रांक 109571505 (पोत) 107 दिनांक 6-11-07

अभिमान उराड़ी
ग्राम प्रधान चुराड़ी
दिनांक 24-5-09
बिना

योगे प्रति सदपित

सहायक अभियन्ता,
निमाण खण्ड, लो. नि. वि. अल्मोड़ा

59

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अर्न्तगत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिकांश निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
प्रभागीय वनाधिकारी

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

वन संरक्षण अधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग

वन प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1
उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

(भूगर्भीय आख्या)

आख्या संख्या 200/2146/09
जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग के बसौली तक विस्तार हेतु
प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

नवम्बर 2009

जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग के बसौली तक विस्तार हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1. निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा के अन्तर्गत 5.00 किमी० लम्बाई में शहीद मोहन सिंह मार्ग को बसौली तक विस्तार हेतु मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अधिसूची अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा के अनुरोध पर प्रस्तावित समरेखन का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 28.10.2009 को सम्बंधित सहायक अभियन्ता श्री जी.एस. कन्याल के साथ निरीक्षण किया गया।
2. बागेश्वर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार कार्य स्वीकृत है। मार्ग निर्माण हेतु खण्ड द्वारा दो समरेखनों पर सर्वेक्षण किया गया है। समरेखन संख्या दो पर स्थानीय ग्रामीणों की असहमति एवं अन्य तकनीकी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये समरेखन संख्या एक के अनुसार मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव है। पातलीबगड़-बागेश्वर मोटर मार्ग से शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग 2.00 किमी० लम्बाई में पूर्व निर्मित है। इस मार्ग के अन्तिम बिन्दु से आगे प्रस्तावित समरेखन एक आरम्भ होता है तथा 4.90 किमी० लम्बाई के बाद अल्मोड़ा-बागेश्वर मोटर मार्ग पर बसौली के समीप पूर्ण होता है। प्रस्तावित मार्ग से ग्राम गंगोला कोटुली, चुराडी तथा बसौली आदि लाभान्वित होते हैं। अवगत कराया गया कि अलग-अलग भाग में समरेखन नाप भूमि, सिविल भूमि तथा आरक्षित वनभूमि से होकर गुजरता है। समरेखन में दो हेयर पिन बैण्ड है जो कि 4 तथा 5 में दिये गये हैं। समरेखन क्षेत्र में माइका शिस्ट चट्टान हैं तथा स्थान-स्थान पर इनके मिट्टी व डेब्री का आवरण बर्दन है। किमी० 1 के अन्त में लगभग 150 मी० लम्बाई में पहाड़ी ढलान तीव्र है जिसमें मार्ग कटान की ऊंचाई अधिक हो जाने के कारण मार्ग निर्माण में सावधानी अपेक्षित होगी। स्थल निरीक्षण के दिन समरेखन क्षेत्र में प्रथम दृष्टया कोई अस्थिरता दृष्टिगोचर नहीं हुई। अवगत कराया गया कि प्रस्तावित समरेखन अधीक्षण अभियन्ता प्रथम वृत्त लो०नि०वि० अल्मोड़ा द्वारा अनुमोदित है।
3. समरेखन क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति, भू-आकृति एवं उक्त प्रस्तर में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निम्न सुझाव दिये जा रहे हैं, जिन्हें प्रस्तावित मार्ग निर्माण में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।
 - (क) यथासम्भव मार्ग की पूरी चौड़ाई कटान करके प्राप्त की जाये। यह भाविष्य में मार्ग की स्थिरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहाँ रिटेनिंग दीवार का निर्माण अपरिहार्य हो वहाँ इनका निर्माण फर्म स्ट्रेटा पर समुचित परिकल्पना के आधार पर कराया जायें।
 - (ख) यह सुनिश्चित किया जाये कि समरेखन में प्रस्तावित हेयर पिन बैण्ड कम ढलान युक्त स्थिर भाग में सावधानीपूर्वक बनाये जाये।
 - (ग) तीव्र ढलान में मार्ग की एक से अधिक आर्म्स की स्थिति को avoid किया जाये अन्यथा फर्म स्ट्रेटा न होने की स्थिति में मार्ग के कटान के बाद स्थानीय भूखलन होने तथा मार्ग के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना हो सकती है।
 - (घ) समरेखन के समीप स्थित घरों से सुरक्षित दूरी रखते हुये बिना विस्फोटकों का प्रयोग किये मार्ग कटान किया जाये।
 - (ङ) समरेखन में तीव्र पहाड़ी ढलान वाले भाग को यथासम्भव बचाया जाये, अन्यथा उस भाग में सावधानीपूर्वक मार्ग कटान किया जाये जिससे कोई अस्थिरता उत्पन्न न हो।

- (च) जहाँ मार्ग कटान की ऊंचाई अधिक हो और स्ट्रेटा कमजोर हो, आवश्यक होने पर उस भाग में मार्ग कटान के साथ-साथ समुचित ब्रेस्ट वाल का निर्माण कराया जाये।
 - (छ) जहाँ आवश्यक हो मार्ग से ऊपर व नीचे पहाड़ी ढलान पर समुचित पौधों का रोपण किया जाये, जिससे ढलानों पर भूक्षरण की प्रक्रिया को नियंत्रित रखा जा सके।
 - (ज) वर्षा के पानी की समुचित निकासी हेतु रोडसाईड ड्रेन एवं स्कपर का प्रावधान किया जायें। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्कपर के पानी से भूक्षरण न हो।
 - (झ) पर्वतीय क्षेत्र में मार्ग निर्माण के लिये निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के अन्य मानकों एवं विशिष्टियों का भी पालन किया जाये।
4. मार्ग के नवनिर्माण विषयक स्थायित्व सम्बंधी बिन्दु-
 (i) मार्ग कटान के पश्चात हिल साईड में जिस स्थान पर over burden material होगा तथा पहाड़ी ढलान slope forming material के angle of repose से अधिक होगा उस भाग में वर्षाकाल में पहाड़ी ढलान के अस्थिर होने की सम्भावना हो सकती है।
 (ii) तीव्र चट्टानी ढलान में blasting किये जाने पर चट्टान के ज्वाइन्ट्स सक्रिय हो सकते हैं तथा नई दरारे भी उत्पन्न हो सकती हैं, जिनके कारण विपरीत परिस्थितियों में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। अतः जहाँ आवश्यक हो मार्ग कटान में नियंत्रित ब्लास्टिंग की जाये।
5. शहीद मोहन सिंह मार्ग बसौली तक विस्तार हेतु 4.90 कि०मी० लम्बाई का प्रस्तावित समरेखन वर्तमान परिस्थितियों में उपरोक्त सुझावों के साथ मार्ग निर्माण के लिये उपयुक्त प्रतीत होता है। इस हेतु प्रस्तावित भूमि भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त है।

टिप्पणी:-

- (1) भूमि हस्तांतरण की दृष्टि से समरेखन क्षेत्र में किये गये निरीक्षण एवं खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्वेक्षण विवरण के आधार पर यह एक जनरलाइज्ड आख्या है। मार्ग कटान के पश्चात् स्थिति में परिवर्तन भी सम्भव है। समरेखन/ मार्ग पर किररी विशिष्ट बिन्दु पर यदि सुझाव की आवश्यकता हो तो उसे अलग से अवगत कराया जाये।
- (2) मुख्य अभियन्ता स्तर 1 लो० नि० वि०, देहरादून द्वारा समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को मार्गों के निर्माण एवं समरेखन निर्धारण के सम्बन्ध में प्रेषित पत्रांक 7272/8(1)याता०-उ०/ 05 दिनांक 16.11.2005 में दिये गये निर्देशों का भी अनुपालन किया जाये।

कोटो प्रति मारुपित
 महायक अभियन्ता,
 निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
 अल्मोड़ा।

H. Kumar
 4.11.09
 भूवैज्ञानिक
 कार्यालय मुख्य अभि. स्तर-1
 लो०नि०वि०, देहरादून

कोटो प्रति मारुपित
 सहायक अभियन्ता,
 निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
 अल्मोड़ा।

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

Task Force Certificate

- (i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
- (ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
- (ii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
- (iii) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred. Apart from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-
 - (i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
 - (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in road. Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
 - (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen muck treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made.
 - (iv) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are to be provided for purpose of establishing the slips Growth vegetative cover is to be stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In
 - (v) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and others engaged in construction of hill roads. these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियों का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा है।

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

अधीनस्थ एजेन्सी
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

:मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण-पत्र:

:मानक शर्तें:

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरण विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा टेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके याचक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरण विभाग को कोई आपत्ति नहीं हाँगा।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाइनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा०नि०वि० द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा०नि०वि० के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, 0 क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी० दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी सा०नि०वि० द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।


16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टियों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।

17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।

18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य है।



सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा


प्रयोक्ता एजेन्सी
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

प्रस्तावक विभाग द्वारा मानक शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल० 5.00 किमी०)

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गयी मानक शर्तें प्रस्तावक विभाग को मान्य होंगी।


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा


प्रयोक्ता एजेन्सी
सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

2.33

97

प्रपत्र-37

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।

प्रयोक्ता एजेन्सी
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

47
विभागीय अधिकारी
अल्मोड़ा

अतिरिक्त अधिकारी

जिलाधिकारी
अल्मोड़ा

जिलाधिकारी
मोदीश्वर

तहसीलदार
सोमेश्वर

तहसीलदार
अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

प्रारूप-38

2.34

98

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान वन्य जीवों/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

प्रयोक्ता एजेन्सी
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

प्रपत्र-39

2.35

89

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, ली० नि० वि०
अल्मोड़ा


प्रयोक्ता/परिजोत्सी
निर्माण खण्ड, ली० नि० वि०
अल्मोड़ा

प्रपत्र-40

2.36


80

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीयग्रामों/ परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क0सं0	ग्राम का नाम	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या	परिवारों की संख्या
1	गंगोला कोटुली	455	85
2	चुराड़ी	112	19
3	भकुना	1144	220
	खड़ाऊ	126	20
4	बसोली	322	58
5	भैंसाड़ी	265	49
योग		2424	451


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, ली० नि० वि०
अल्मोड़ा


प्रयोक्ता/परिजोत्सी
निर्माण खण्ड, ली० नि० वि०
अल्मोड़ा

प्रपत्र-50

2.37

(163)

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको-क्लास श्रेणी.....V.....
2. हरियाली का घनत्व.....0.1A.....
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति हे0.....8,500/-
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल.....2.13500
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि.....

प्रभागीय वनाधिकारी

वन प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा

आर. व. 05
क. म. व. 05

वन प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा

प्रारूप-51

2.38

(164)

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिसासो अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

प्रारूप-41

239

(81)

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसोली तक विस्तार (ल0 5.00 किमी0)

वन भूमि के मूल्य/वार्षिक लीज रेन्ट का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रूपये 450000.00 प्रति हे0 है तथा उक्त प्रयोजन हेतु 2.3500 हे0 वन भूमि का कुल प्रीमियम (मूल्य) रूपये 1057500.00 होता है।

अ.7
जिलाधिकारी
अल्मोड़ा

तहसीलदार
अल्मोड़ा
तहसीलदार
सोमेश्वर

प्रतिपत्ताकरण
जिलाधिकारी
अल्मोड़ा
सोमेश्वर

सारणी-10

संलग्नक सं०	संलग्नक का नाम Name of the Attachment	Attached status	
		Yes	NO
1.1	Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency. सक्षम अधिकारी / ऑन-लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी का प्रमाण पत्र।	✓	
1.2	Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted. सर्वे ऑफ इण्डिया टोपोशीट मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण वन क्षेत्र को दर्शाया गया हो।	✓	
1.3	Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS. मैप जिसमें टोपोशीट पर प्रस्तावित क्षेत्र को जी0पी0एस0 के साथ दिखाया गया हो।	✓	
1.4	Google Map of the proposed site showing legal status of the proposed land and alternative examined for the project with legend. (kml file) (pdf file). गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	✓	
1.5	Note containing justification for locating the Project in forest land (pdf file). प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	✓	
1.6	Certificate by DM- Forest Right Act-2006(in MoEF revised prescribed form) (pdf file). जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त वन अधिकार अधिनियम, 2006 का प्रमाण-पत्र मय संलग्नकों के (नये प्रारूप में)।	✓	
1.7	Survey of India Toposheet in 1:50,000 scale indicating location of the land identified for creation of Compensatory Afforestation: signed by DFO (pdf file). प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने का मानचित्र जिसमें क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थान को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रमाणीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	✓	
1.8	Colored copy of the google map showing the land identified for CA. (kml file) signed by DFO (pdf file). रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रमाणीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	✓	
1.9	If non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency? A Copy of ownership proof and No Objection Certificate (pdf file). यदि, प्रस्तावित कार्य हेतु गैर वन भूमि अथवा राजस्व वन भूमि की आवश्यकता हो तो भूमि धर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमिधरों का भूमिधर होने का प्रमाण-पत्र।	✓	
1.10	Copy of Mou/agreement executed between the Present owner and the User Agency. (pdf file). भूमिधर एवं प्रयोक्ता एजेन्सी के बीच हुए करार (PDF).	✓	
1.11	Cost benefit analyses (in more then 5.0 ha. Land diversion cases) (pdf file). विरिक्त लागत-लाभ विश्लेषण प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)।		✓

सारणी-11

संलग्नक सं०	संलग्नक का नाम	Attached Status	
	Name of the Attachment	Yes	No
2.1	A short narrative and importance of the project.. (pdf file). प्रस्ताव के बारे में विवरण एवं प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता।	✓	
2.2	Administrative and Financial sanction (pdf file). परियोजना हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	✓	
2.3	Preliminary Joint Inspection report (by user agency, forest department, संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट। (प्रयोक्ता एजेन्सी तथा वन विभाग एवं राजस्व विभाग के साथ)।	✓	
2.4	Comparative chart showing statement of both alignment or alternate site वैकल्पिक संरेखणों को मानचित्र पर प्रदर्शित कर उनके निरस्त किये जाने का औचित्य एवं	✓	
2.5	Certificate from the DM that no alternative suitable non-forest land is जिलाधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि	✓	
2.6	Land schedule (for RF signed by DFO and civil soyam, Van panchayat प्रभावित वन भूमि का लेण्ड शेड्यूल (रिजर्व फोरेस्ट में प्रभागीय वनाधिकारी तथा राजस्व भूमि	✓	
2.7	Category wise (RF, civil soyam, Van panchayat and private nap land, परियोजना की लम्बाई चौड़ाई तथा कुल क्षेत्र हे० में भूमि विभिन्न वर्गवार आरक्षित, निजि वन,	✓	
2.8	Bar Chart with index (counter signed by DFO). (pdf file). परियोजना का भूमि उपयोग का बार-चार्ट। (प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)।	✓	
2.9	Compensatory afforestation scheme in Civil and Soyam land (10 years) क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना सिविल भूमि पर (10 वर्षीय दरों पर)।	✓	
2.10	Certificate regarding suitability of indentified land for Comensatory क्षतिपूरक वृक्षारोपण वन स्थल उच्युक्तता प्रमाण-पत्र। (प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा)।	✓	
2.11	Undertaking by the User Agency to bear the cost of compensatory प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण को बहन किये जाने का प्रमाण-पत्र। (प्रभागीय	✓	
2.12	Road side/gap filling plantation estimate (by DFO) (pdf file). प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्रावकलन।	✓	
2.13	Undertaking by the User Agency to bear the cost of Road side /gap प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि	✓	
2.14	Estimate of 100 trees plantation by DFO (less then 1.0 ha. cases) (pdf प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त 100 वृक्षों के वृक्षारोपण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र। (1 हे० से कम	✓	
2.15	Details of the trees with their scientific name in RF, Civil Soyam, Van परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची एवं उनके वैज्ञानिक नाम। (सूची आरक्षित वन	✓	
2.16	Felling of Oak trees (if involves, inspection report of the concerning CF बाँज प्रजाति के वृक्षों के पातन हेतु वन संरक्षक की संस्तुति का प्रमाण-पत्र।	✓	
2.17	If felling of trees is not involved, certificate by DFO in this regard. (pdf अगर वृक्षों का पातन नहीं होना है तो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र।	✓	
2.18	Certificate of felling minimum trees during the project work. (pdf file). न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	✓	
2.19	Muck disposal scheme (in prescribed format) (pdf file). परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलवा निस्तारण की योजना। (निर्धारित प्रारूप में)।	✓	
2.20	Whether project area is a part of National Park or sanctuary and airal प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।	✓	
2.21	If the project area is within 10 Km radius of N/P or Centuary, यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के 10 किमी० की परिधि	✓	
2.22	If the Project falling within the National park or Sanctuary, needs यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत आता है तो	✓	

2.23	No violation has taken place, FC Act. 1980 reg. (pdf file). वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र।	✓	
2.24	NOC from local Gram Sabhas. (pdf file). ग्राम-सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	✓	
2.25	Approved general lay out plan/alignment and estimate from competent प्रस्तावित परियोजना का ले-आउट प्लान एवं प्रांकल्लन तथा सक्षम अधिकारी द्वारा	✓	
2.26	Component wise details of construction work. (pdf file). अवयव के अनुसार निर्माणाधीन कार्यों का विवरण। (यदि लागू हो तो)।	✓	
2.27	Certificate- work has not been started reg. (pdf file). कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण-पत्र।	✓	
2.28	Geologist Report (Govt. approved Geologist). (pdf file). भू-वैज्ञानिक की आख्या।	✓	
2.29	Task Force report. टास्क-फोर्स रिपोर्ट।	✓	
2.30	Certificate by user agency for complying the condition imposed in प्रस्तावक विभाग द्वारा मानक शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	✓	
2.31	Certificate by user agency for complying the condition imposed in टास्क-फोर्स एवं भू-वैज्ञानिक की शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	✓	
2.32	No historical/monumental or relegeous place will be effected certificate धार्मिक/पौराणिक/एतिहासिक महत्व का स्थल न होने का प्रमाण-पत्र।	✓	
2.33	Undertakoing regarding no animal will be effected adversely by the वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुंचाये जाने का प्रमाण-पत्र।	✓	
2.34	Undertading to provide alternative fuelwood, kerosene or LPG to परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी का तैल एवं रसोई गैस का प्रमाण-पत्र।	✓	
2.35	Benefited villages/Families/Population Certificate. (pdf file). लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र	✓	
2.36	NPV calculation certificate as per Hon'ble Supreme court /MoEF orders एन०पी०वी० की देयता का प्रमाण-पत्र।	✓	
2.37	Undertaking of payment of NPV, if Hon'ble Supreme Court increses the मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०पी०वी० की बढ़ी हुई	✓	
2.38	Cost of the forest land and lease rent certificate by DM. (pdf file). वन भूमि के लीज रेंट का प्रमाण-पत्र।	✓	
2.39	Certificate of Lease period by user agency. (pdf file). लीज अवधि का प्रमाण-पत्र।	✓	
2.4	Demarcation of land to be diverted (pdf file). आर०सी०सी० पिलरों के सीमांकन का प्रमाण-पत्र।	✓	
2.41	Undertaking of user agency to bear the cost for dimarcation work (pdf आर०सी०सी० पिलरों के व्यय को बहन करने हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा दिया गया।	✓	
2.42	Non-availability of non-forest land for compensatory afforestation क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर भूमि उपलब्ध न होने का मुख्या सचिव द्वारा दिया गया	✓	
2.43	checklist	✓	